

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

कार्यालय आदेश

२९।

का०आ०सं०-०४/अ०प्र०-०१-०१/२०१६

१५१५१२६

/पटना, दिनांक-

अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अध्यक्षता में गठित विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की दिनांक 12.05.2026 को सम्पन्न हुयी बैठक में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 दिनांक 25.06.2003 बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003, अधिसूचना संख्या 769 वि० (2) दिनांक 28.01.2008, संकल्प संख्या 1493 दिनांक 22.02.2008 एवं अधिसूचना संख्या 6068 दिनांक 13.06.2013 के आलोक में संवर्गीय कनीय अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-6 एवं 7 में अंकित तिथि से क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना) नियमावली 2010, पत्रांक 5152 दिनांक 21.05.2013, वित्त विभागीय संकल्प सं०-3590 दिनांक-24.05.2017 एवं परिपत्र सं०-8892 दिनांक-14.11.2017 तथा वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत एतद् संबंधी अद्यतन संगत प्रावधान के आलोक में क्रमशः कॉलम 6, 7 एवं 8 में अंकित तिथि से प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति पर नियमानुसार विचार किया गया।

2. तदनुसार विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त सुनिश्चित वृत्ति योजना नियमावली 2003 एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना नियमावली 2010 तथा समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत एतद् संबंधी सुसंगत प्रावधानों के तहत ग्रामीण कार्य विभाग संवर्ग के निम्नांकित कार्यरत/सेवानिवृत्त/मृत कनीय अभियंताओं (असैनिक) को वांछित सेवा अवधि पूर्ण होने तथा आवश्यक प्रतिवेदन/ अभिलेख अनुकूल होने पर उन्हें क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन तथा प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	कनीय अभियंता का नाम/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापित कार्यालय/अंतिम पदस्थापित कार्यालय	प्रथम योगदान की तिथि	सेवा संपुष्टि/नियमितकरण की तिथि	प्रथम सुनिश्चित/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की अनुमान्य तिथि एवं वेतनमान	द्वितीय सुनिश्चित/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की अनुमान्य तिथि एवं वेतनमान	तृतीय सुनिश्चित/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की अनुमान्य तिथि एवं वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री रामानुज शर्मा, से०नि० क० अभि०/ जहानाबाद	कार्यपालक अभियंता ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमंडल, खडगपुर-तारापुर, कार्य प्रशाखा, खडगपुर-1	28.04.1988	28.04.1991	दि०-28.04.2000 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-6500-10500/-	दि०-01.01.2009 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी०बी०-3 ग्रेड-पे-5400/-	दि०-28.04.2018 की तिथि से वेतन लेवल-12
2	श्री दीपक कुमार, क० अभि०/ जहानाबाद	कार्यपालक अभियंता ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमंडल, बगहा-1	12.09.2012	12.09.2014	दि०-12.09.2022 की तिथि से वेतन लेवल-08	-	-
3	श्री रामस्वरूप प्रसाद यादव, से०नि०क० अभियंता/ गया	कार्यपालक अभियंता, ग्रा०आ०सं०, कार्य प्रमंडल, भागलपुर	09.06.1978	31.10.2010	दि०-31.10.2010 की तिथि से प्रथम ए०सी०पी० पी०बी०-2 ग्रेड पे-4600/-	दि०-31.10.2010 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० पी०बी०-2 ग्रेड पे-4800/-	दि०-31.10.2010 की तिथि से तृतीय ए०सी०पी० पी०बी०-2 ग्रेड पे-5400/-

3. भविष्य में उक्त कार्यालय आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कनीय अभियंता को प्रदत्त सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश/अंश को रद्द/ संशोधित कर दिया जायेगा एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि/अन्तर राशि की नियमानुकूल वसूली कर ली जायेगी।

4. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

5. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवापुस्त की सम्यक जाँच कर लेंगे एवं जाँचोपरान्त स्वीकृत लाभों में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलम्बन, बर्खास्तगी, दण्डादेश, जो सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन को प्रभावित करता हो) पाया गया हो तो नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी जाँच कर लेंगे कि उक्त कनीय अभियंता के उपर किसी तरह का वसूली हेतु विभागीय अग्रिम/बकाया तो नहीं है, यदि उनके उपर कोई विभागीय अग्रिम/बकाया है, तो उसकी नियमानुसार वसूली की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

6. अगर उक्त सूची में अंकित कनीय अभियंताओं में से किसी की सेवा सम्पुष्टि/स्थायीकरण पूर्व में नहीं हुआ है तथा सेवापुस्त में अंकित नहीं है, तो सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का निर्धारण से पूर्व सेवा सम्पुष्टि/स्थायीकरण सम्बन्धित मामला विभाग को भेजा जाय। स्थायीकरण/सेवा सम्पुष्टि के पश्चात् ही वेतन निर्धारण सम्बन्धी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

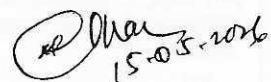
7. दिनांक-01.01.2016 के पूर्व जिन कनीय अभियंताओं को द्वितीय एम0ए0सी0पी0 पी0बी-3 + 5400 ग्रेड पे प्राप्त हुआ है अथवा स्वीकृत हुआ है, उनका वेतन पुनरीक्षण वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8892 दि0-14.11.2017 के कंडिका-2 (III) के प्रावधानानुसार दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से सेवारत रहने की स्थिति में वेतन स्तर-11 अनुमान्य होगा, परन्तु पुनरीक्षित आर्थिक लाभ दिनांक 01.04.2017 के प्रभाव से देय होगा।

संबन्धित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन की सम्पुष्टि सक्षम प्राधिकार (वित्त विभाग द्वारा प्राधिकृत) से कराने के उपरान्त ही नियमानुकूल भुगतान की कार्रवाई संबंधित कनीय अभियंता को किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु किसी पृच्छा पर विभागीय परामर्श की यदि आवश्यकता हो, तो सभी वांछित अभिलेखों के साथ विभाग को प्रतिवेदित करेंगे।

8. वित्तीय उन्नयन के स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कनीय अभियंता के वेतन का निर्धारण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली-2003 के नियम-8 के अनुसार किया जाना है। वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम-22 (i) ए (i) के प्रावधानों के अनुसार होगा। वेतन निर्धारण के क्रम में नियंत्री/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो ले कि उक्त नियमावली के नियम-8 के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह हो रहा है।

सम्बन्धित कनीय अभियंता आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर अपने नियंत्री पदाधिकारी को इस आशय का अपना विकल्प समर्पित करेंगे कि स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप अपना वेतन निर्धारण का लाभ प्रोन्नति की तिथि से लेंगे अथवा देय प्रोन्नति की तिथि के बाद अगली वेतन वृद्धि की तिथि से।

9. उक्त कनीय अभियंता के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत दण्ड या लम्बित आरोप एवं अन्य प्रतिकूल तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर सम्बन्धित नियंत्री पदाधिकारी इसकी सूचना वांछित साक्ष्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। तदनुसार कनीय अभियंता को प्रदत्त की गयी वित्तीय उन्नयन योजना के लाभ से सम्बन्धित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि/अन्तर राशि की नियमानुसार वसूली कर ली जायेगी।



(जय किशोर ठाकुर)

अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-04/अ0प्र0-01-01/2016 6037 /पटना, दिनांक- 15/5/26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

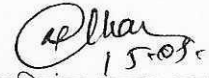

15.05.2016

अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-04/अ0प्र0-01-01/2016 6037 /पटना, दिनांक- 15/5/26

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रा0का0वि0 के आप्त सचिव/निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी सम्बन्धित कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

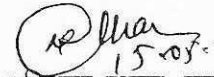

15.05.2016

अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-04/अ0प्र0-01-01/2016 6037 /पटना, दिनांक- 15/5/26

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, लेखा शाखा/अवर सचिव, बजट प्रशाखा-13/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05 एवं 07, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15.05.2016

अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-04/अ0प्र0-01-01/2016 6037 /पटना, दिनांक- 15/5/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना /पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15.05.2016

अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-04/अ0प्र0-01-01/2016 6037 /पटना, दिनांक- 15/5/26

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को यह पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।


15.05.2016

अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

SL

